

पत्र संख्या : ७ब/४७०२ यो०ज०स०- १२/१२

५५

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रॉची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक : ५.६.१२

विषय :- माँग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-१८-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना), विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०पी४७०२००७९६१८०५४५ के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	4
1.	५०-लघु सिंचाई विभाग /४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७९६-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / १८-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना)	०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य/ ५०पी४७०२००७९६१८०५४५	१८९.८८०

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ नवासी लाख अठासी हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु० २००.०० लाख (दो करोड़) (चालू योजना) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट-१ में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रथ्यं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :- यथोक्त

.....
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

५५

राँची, दिनांक :-

५.६.१२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूंटी/चाईबासा/जमशेदपुर/साहेबगंज/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

.....
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

५५

राँची, दिनांक :-

५.६.१२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

.....
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक -
मोन संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष -4702 लघु सिंचाई पर पुस्तिगत परिवेष

लघु शीर्ष -796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष -18-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड-50P470200796180545

बजट उपवध (वर्ष 2012-13) रु. 200.00 लाख

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमाण	जिला प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीर्कृति का प्रसंग		वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	अनुकूल				
				प्रशासनिक स्थीर्कृति की राशि	प्रसंग	मार्च 2012 तक का व्यय		पूर्ति का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उद्वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण।											
			सोनाहातु	माझलडीह उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		45.000		27.875			
			सोनाहातु	मानकीडीह उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		52.000		37.092			
			राहे	डोकाड उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		30.890	43/04.02.11	17.394	0.000	20.000	20.000
			सोनाहातु	एडरमहातु उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		25.500		20.398			
1	लघु सिंचाई प्रमाण	राँची	सोनाहातु	गाराडीह उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		27.100		14.668			
			सोनाहातु	ईचाहातु(उत्तर) उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		30.300		21.565			
			राहे	सताकी ग्राम में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		26.378	15/26.06.11	4.113	0.000	20.000	20.000
			राहे	अम्बा झारिया माइको उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		22.629		5.000			
				योग	259.797		148.105	0.000	40.000	40.000	
			सिल्टी	पतराहातु उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		28.020		16.480			
2	लघु सिंचाई प्रमाण	राँची	सिल्टी	पोगरा उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		30.550	43/04.02.11	6.440	0.000	20.000	20.000
			राँची नगर निगम	छोटी घाघरा उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		37.870		27.752			
			सिल्टी	लगाम उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		44.890	42/29.01.11	26.530	0.000	10.000	10.000

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अमि.)

(वी.सी.सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतापथी)
प्रधान सचिव

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल	जिला प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग		वार्ष 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			अनुच्छेद	
				प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रसंग		पूर्त का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			बुडम्	अकरान नदी पर (संख्या-1) उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	5.720	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			बुडम्	अकरान नदी पर (संख्या-2) उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	5.720	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			बुडम्	हिसरी नीचला युहारू -1 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	5.720	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			बुडम्	हिसरी (बीच) युहारू -1 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	5.720	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			बुडम्	बडका मुरु-1 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	5.720	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			बुडम्	बडका मुरु-2 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	5.720	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			बुडम्	कशीटोली उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	5.720	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			बुडम्	हिसरी ओमर हेड टेंक ओपन -कम-वाटर हार्डिंग वेल के साथ उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	15.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				योगा	207.830	79.204	0.000	52.000	52.000		
श्रुखलाबद्ध चेक डैम निर्माण											
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, खुंटी	खुंटी	मुरह	हेरेलता नाला पर श्रुखलाबद्ध चेक डैम निर्माण।	93.437	20/20.09.11	22.608	0.000	40.000	40.000	
श्रुखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण (वालू योजना)											
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, तुमका	तुमका	जामा	अमरावती जोरिया पर श्रू० चै० यो०	100.000	13/09.08.07	81.040	0.000	1.880	1.880	
				योगा	100.000		81.040	0.000	1.880	1.880	

(ओंकार नथ)
सहायक अधिकारी(मुख्य कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अमी.)(बी०सी० निर्माण)
विशेष सचिव(एस० के० शताधी)
प्रधान सचिव44
5.6.12

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमाणल	ज़िला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग		मार्च 2012 तक का व्यय	वितीय वर्ष 2012-13 में आवंटन		अनुचित	
					प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	लघु सिंचाई प्रमाणल, चाईबासा	प० सिंहभूम	मझगांव	अम्बाई मिर्च नाला पर शु० च० यो योग	78,000	13/09/08.07	45,777	0.000	6,000	6,000	
चेक ईम निर्माण											
6	लघु सिंचाई प्रमाणल, साहेबगंज	आगलोई दरियापुर	बरहरवा	करनी नाला पर चेकडैम निर्माण करनी नाला पर चेकडैम निर्माण	27,044 18,180 24,443	31/10.01.12	13,290 6,580 0.000	20,000 20,000	20,000	20,000	
मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन											
7	लघु सिंचाई प्रमाणल, उमका	उमका	उमका	जागीयाड़ी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार योग	7,200 7,200	29/08/07	6,720 0.000	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	
मध्यम सिंचाई योजना											
8	लघु सिंचाई प्रमाणल, जमशेतपुर	प० सिंहभूम	धातलभूमगढ	सेंधाडुला नाला पर सिंचारीधाटी रुजतारा बीयर योजना	189,400 189,400 1005.331	06/06.06.08 110.880 507.484	0.000 29,000 0.000	29,000 29,000 189,880	29,000 29,000 189,880	29,000 29,000 189,880	
आवित्र राशि - ₹ एक करोड़ नवासी लाख अठासी हजार मात्र।											

(ओकार नाथ)
सहायक अधिकारी

(मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव (अधिक))

(बी०सी० नियम)

(एस० के० शातपथी)

प्रधान सचिव

5.6.12